राजस्थान सरकार

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल, राजस्थान

क्रमांक:एफ.18(1)श्रम/भनिकम/2014/6106 दिनांक : 18.8.2021

अधिसूचना

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन की सेवा शर्तो का विनियमन) नियम 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान, की अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)श्रम/भनिकम/2014/5008 दिनांक 08.07.2014 द्वारा **"हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना 2014"** अधिसूचित की गई। तदुपरान्त संशोधन हेतु दिनांक 21.09.2015, 01.04.2016, 09.09.2016, 08.08.2017 एवं 24.09.2018 को जारी अधिसूचनाओं द्वारा योजना के प्रावधानों में संशोधन किया गया। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान की दिनांक 06.07.2021 को आयोजित 31वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार योजना के प्रावधानो में निम्नानुसार सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1. दुर्घटना के अतिरिक्त बीमारी अथवा अन्य कारणों से भी यदि निर्माण श्रमिक में आंशिक/पूर्ण स्थाई अपंगता आती है, तब भी पीड़ित श्रमिक को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सहायता का लाभ दिया जाये।
2. मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अपंगता प्रमाण–पत्र में 40 या 40 प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत से कम स्थायी अपंगता होने पर "आंशिक अपंगता" तथा 60 प्रतिशत या इससे अधिक शारिरीक अपंगता होने पर " पूर्ण अपंगता" का लाभ दिया जाये। 40 प्रतिशत से कम अपंगता की स्थिति में कोई लाभ देय नहीं होगा।

उक्त संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

उक्त संशोधन अध्यक्ष मण्डल की आई.डी. संख्या 276 दिनांक 02.08.2021 तथा शासन सचिव की आई.डी. संख्या 1473 दिनांक 03.07.2021 से अनुमोदित है।

सचिव, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक
कल्याण मण्डल एवं श्रम आयुक्त, राजस्थान

जयपुर, दिनांक 18.8.2021

क्रमांक: एफ 18(1)श्रम/भ.नि.क.म./2014/6107-55

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. ...., सदस्य, राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल।
6. संयुक्त/उप/सहायक/श्रम कल्याण अधिकारी..................................
7. ए.सी.पी. मुख्यालय, श्रम विभाग, राजस्थान।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

P/Scheme/Durghtna-2017